न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2020 / 00078

1. गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां जाति मुसलमान निवासी बल्लर तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह प्रार्थी की ओर से।

2 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–22.12.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मुरब्बा नं0 77 / 36 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा दिनांक 25.02.1984 को सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर द्वारा बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन आवंटन हुई थी। उक्त रकबा आवंटन के पश्चात् राजस्व भूमिहीन पुख्ता आवंटन आदेश के दर्ज हो गया, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां के बजाय रसूला पुत्र मुबारक दर्ज है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा आवंटन के समय से लेकर आजदिन तक चला आ रहा है। जब उक्त रकबा के आवंटन के लिये आवेदन किया गया था उस वक्त प्रार्थी को उसके गांव में आम बोलचाल में गुलाम रसूल के बजाय रसूला नाम से पुकारते थे तथा उक्त रकबा के आवंटन के समय आम आदमी का कोई फोटो पहचान व अन्य दस्तावेज जिसमें पूर्णतया पहचान के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। इसप्रकार प्रार्थी के पास भी फोटो पहचान व स्थाई पहचान का कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण उक्त रकबा के आवंटन के आवेदन के समय प्रार्थी के आम बोलचाल के नाम रसूला पुत्र मुबारक के नाम से आवेदन किया गया तथा मुताबिक आवेदन ही प्रार्थी को उक्त रकबा रसूला पुत्र मुबारक के नाम से आवंटन हो गया।

इसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 दर्ज हो गया था। प्रार्थी ने उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी करवाने के लिये राजस्व शिविर बल्लर में शिविर प्रभारी के समक्ष आवेदन किया तो शिविर प्रभारी ने भी उक्त रकबा की खातेदारी प्रार्थी के आम बोलचाल के नाम रसूला पुत्र मुबारक के नाम से प्र. सं. 86 क्रम संख्या 031 दिनांक 11.05.2018 को उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी कर दी थी जबकि प्रार्थी ने उक्त खातेदारी सनद के आवेदन के समय अपने फोटो पहचान का दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां का पेश किया था। दिनांक 07.07.2020 को प्रार्थी अपने उक्त रकबा पर के.सी.सी. ऋण लेने के लिये हल्का पटवारी के पास फर्द खाता लेने आया तो हल्का पटवारी ने कहा कि उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में तो आपका नाम रसूला पुत्र मुबारक दर्ज है जबकि आपकी फोटो पहचान का दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां है इसप्रकार आपके राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेजों में नाम भिन्न–भिन्न है इसलिए आप अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन करवाओ। रसूला पुत्र मुबारक व गुलाम रसूल प्रार्थी के ही दो नाम है तथा प्रार्थी उक्त दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है तथा प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम रसूला पुत्र मुबारक है तथा प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां के नाम से बने हुवे है। राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रसूला पुत्र मुबारक को दुरस्त करवाकर गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां करवाना चाहता है। प्रार्थी के नाम से चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा अनकमाण्ड का राजस्व रिकॉर्ड में रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां दुरस्त करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक/त.खा./कोर्ट/2022/514 दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा अ0क0 भूमि रसूला पुत्र मुबारक जाति मुसलमान निवासी बल्लर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनानुसार गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में मूल आवंटन पत्रावली, खातेदारी, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, भामाशाहकार्ड वगैरह की छायाप्रतियां व मूलप्रमाणपत्र ग्राम पंचायत बल्लर पेश किये गए। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां दुरस्त करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत तस्दीक का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की उक्त वादगत भूमि चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां उर्फ रसूला पुत्र मुबारक दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां उर्फ रसूला पुत्र मुबारक नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)